UGC APPROVED JOURNAL - 47746
© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 04 | January – March 2018

भारतीय सविंधान तथा आरक्षण

[1]**Imra Khanam,** Research Scholar,
[2]**Dr. Rajeev Singh Kanaujia,** Associate Professor,
Department of Political Science, P.N.G. Govt. PG College,
Kumaun University, Nainital

परिचय

भारत में आरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। यहां आजादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत हो चुकी थी। इसके लिए विभिन्न राज्यों में विशेष आरक्षण के लिए समय–समय पर कई आंदोलन हुए हैं। जिनमें राजस्थान का गुर्जर आंदोलन, हरियाणा का जाट आंदोलन,महाराष्ट्र का मराठा आंदोलन, यूपी, बिहार का निषाद आरक्षण आंदोलन, आंध्र प्रदेश का कम्मान्दोलन और गुजरात का पाटीदार (पटेल) आंदोलन प्रमुख हैं।

आरक्षण का अर्थ

आरक्षण (त्मेमतअंजपवद) का अर्थ है अपना जगह सुरक्षित करना. प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा हर स्थान पर अपनी जगह सुरक्षित करने या रखने की होती है, चाहे वह रेल के डिब्बे में यात्रा करने के लिए हो या किसी अस्पताल में अपनी चिकित्सा कराने के लिए, विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात हो या किसी सरकारी विभाग में नौकरी पाने की। भारत में सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और धार्मिकध्भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने के लिए कोटा प्रणाली लागू की है। भारत के संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए भी आरक्षण नीति को विस्तारित किया गया है।

किसी भी राष्ट्र में सामाजिक रूप से विभिन्नताएं सदैव विद्यमान रहती है। ये भिन्नताएं विभेदीकृत अथवा स्तरीत किसी भी रूप में हो सकती है। इन विभिन्नताओं के मध्य समानता स्थापित करने के संदर्भ में कोई भी कल्याणकारी राज्य कुछ न कुछ वैधानिक प्रावधान करता है।इसी प्रकारभारत में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से निम्न स्तर पर जीवन यापन कर रहे लोगों को संविधान में विशेष अवसर के सिद्धांत पर आधारित अवसर की समानता तथा

सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारत विविधता में एकता वाला देश है देश में अनेक वर्ग, जाति, समूह व समुदाय आदि के लोग एक साथ रहते हैं लेकिन कुछ ऐतिहासिक कारणों से कुछ जाति, वर्ग समूह व समुदाय पर समाज द्वारा अनेक निर्योग्यताएं थोप दी गई, जिसके कारण इन जाति, वर्ग, समूह व समुदाय में स्तरीकरण के परिणामस्वरूप उच्चता एवं निम्नता की धारणा विकसित हो गयी।

आजादी की लड़ाई के दौरान अनेक समाज सुधारकों द्वारा इसे समाप्त करने का प्रयास किये जाने के बाद भी यह समाप्त नहीं हो सका। डॉ. भीमराव अम्बेडकर नेइन कमजोर व पिछड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था करनेकी मांग की। कई समाज सुधारकों एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकके प्रयासों के परिणामस्वरूप स्वतन्त्रता के पश्चात दलित, कमजोर व पिछड़े वर्गों को सामाजिक समानता व न्याय के लिए शैक्षणिक एवं सरकारी नौकरियों में कछ स्थान आरक्षित किया जिससे इन्हें सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश लेकर स्वयं को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ ।

भारतीय समाज का प्राचीन स्वरूप वर्ण व्यवस्था पर आधारित रहा हैं ऋग्वैदिक काल से जातियां अनेक जाति समूहों में विभाजित हो गई थी। वर्ण व्यवस्था का निर्माण जिस आधार पर भारतीय विद्वानों ने किया थाकालान्तर में उसका स्वरूप परिवर्तित होकर जाति ने उसका स्थान ले लिया। चूँकि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था लेकिन जैसे उसका स्थान जाति ने लिया वह जन्म आधारित व्यवस्था बन गयी जिसके कारण बाद में उसमें अनेक विकृतियां समाहित हो गयी। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर व्यावहारिक रुप में असमानता देखने को मिलती थी।उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिवर्तित होन के परिणामस्वरूप जाति व्यवस्था को जन्म के आधार पर स्वीकार किया जाने लगा।जाति व्यवस्था में निम्न वर्ण जिसे शुद्र के नाम से पुकारा गया,को सेवा के लिए नियुक्ति किया गया था। जाति व्यवस्था भी वर्ण व्यवस्था की तरह असमानता पर आधारित था इसमे अनके जातियां उपजातियों में विभाजित हो गई। उत्तर वैदिक काल में कठोर सामाजिक नियमों के अधिकसमावेश होने के कारण उपजातियों में विभाजन हुआ। उस समय कर्म को गौण माने जाने लगा और जन्म के आधार पर ही वर्ण को निश्चित करने की प्रवृति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। परम्परागत भारतीय समाज मेंजाति व्यवस्था आने के बाद निम्न वर्ण के रूप में शूद्रका अत्यधिक शोषण हुआ और धीरे–धीरे समाज द्वारा उन्हें सबसे निम्न पायदान पर स्थापित कर दिया गया। उसी समय पश्चिमी उदारवादी विचारधारा से प्रेरित दक्षिण भारत के कमजोर वर्गों के लिए जाति प्रथा के विरूद्ध आन्दोलन की शुरूआत महात्मा ज्योतिबा फूले ने की। इन्होंने जात–पाँत पर

विचार किए बिना मानव मात्र की गरिमा को स्थापित करने का प्रयास किया। वही सन् 1848 में अछूतों, कमजोर वर्गों के बालक–बालिकाओं के लिए एक सकल खोला। उन्होंने ब्रिटिश शासन से श्सेवाओं और स्थानीय संस्थाओं में सभी जाति के सदस्यों लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मॉग रखी द्यधजिस पर सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया। उच्च वर्ग ने इसी काल में धर्म का सहारा लेकर असमानता को और बढ़ाया हैं। सन 1889 में विपिन चन्द्र पाल ने स्पष्ट किया, श्कि हमारी धार्मिक रूढियाँ लोगों की समता की घोषणा न कर उनकी असमानता की घोषणा करती हैं। जाति आधारित भारतीय समाज गुणवत्ता को स्वीकार नहीं करता,बल्कि जन्म आधारित गुण को स्वीकार करता हैं। सामाजिक बुराईयां जिनके भीतर भारतीय समाज कराह रहा है जीवन की उस कृत्रिम रचना पर आधारित हैं असमानता,जाति, भेदभाव और आध्यात्मिक दास्ता जिसकी मांस–मज्जा और हड्डी हैं।" मैक्स वेबर नेकहा हैं कि ष्भारत अनुल्लंघनीय जाति व्यवस्था पर आधारित भूमि हैं और व्यक्ति की वर्गकी अधीनस्थता इस व्यवस्था का अपृथक्करणीय पहलू हैं।"

प्रो. सदाशिव घुरिये का अवलोकन हैं कि सेवाओं और स्थानीय निकायों में गैर–ब्राह्मणों को विशेष प्रतिनिधित्व दिये जाने की फले की मांग 19वीं सदी के अन्तिम दशकों में तब तक अनसुनी ही रही थी, जब तक कि कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहूजी ने गैर–ब्राह्मणों की मांगो को बुलन्द नहीं किया था। यह श्रेय मूलतः उन्हीं के प्रयासों को दिया जा सकता है कि मौंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में मिश्रित मतदाताओं के माध्यम से निम्न वर्ग को विशेष प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली गई द्य"वही दूसरी ओर भारतीय रियासतों के एक बड़े क्षेत्र में पिछड़े वर्गों के लिए ही आरक्षण की शुरूआत हुई थी इसकी शुरूआत महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहूजी महाराज ने सन् 1902 में पिछड़े वर्गों की गरीबी दूर करने और राज्य प्रशासन में उन्हें उनकी हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण की शुरूआतकी थी कोल्हापुर राज्य में पिछड़े वर्गो ध्समुदायों को नौकरियों में आरक्षण देने के लिए सन् 1902 में अधिसूचना जारी की गई थी। यह अधिसूचना भारत में कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश था। बाद में अन्य प्रान्तीय सरकारों ने भी अपने–अपने राज्यों में अनुसूचित जाति, व अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में कछ प्रतिशत पद आरक्षित करने की नीति अपनाई " ब्रिटिश काल के समय राज्यों में मैसूर (अब कर्नाटक) पहला ऐसा राज्य था जिसने इस समस्या को पहचाना। सन 1895 में ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य सभी समुदायों के लिए पदों में आरक्षण लागू करने का आदेश निकाला। बाद में त्रावणकोर व कोचीन की सरकारों ने भी इस नीति को अपनाया। इस प्रकार से अविभाजित

बॉम्बे व दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे पहले पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व की मांग को पहचाना गया। अनुसूचित जातियों के लिए कन्द्र सरकार द्वारा सबसे पहले सन् 1943 में कुल सरकारी पदों में से 8.5 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये गए।अछूतों के समान ही भारत के अनुसूचित जनजातियों की स्थिति भी चिंताजनक थी। अत्यधिक गरीबी के कारण वे भी समाज के संपन्न वर्ग से सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ गए थे। परन्तु अनुसूचित जनजाति के लोंगो के लिए अधिमान्य व्यवहार की मांग स्वतंत्रता पश्चात (संविधान निर्माण के वक्त)ही पहचानी गई ।"

भारत में जातियों के सूचीकरण का एक लंबा इतिहास हैं मध्य काल में देश के विभिन्न भागों में स्थित समुदायों के विवरण शामिल हैं। ब्रिटिश काल के दौरान ही सन् 1806 के बाद व्यापक पैमाने पर सूचीकरण का काम किया गया था। सन 1881 से 1931 के बीच जनगणना के समय इस प्रक्रिया में तेजी से काम हुआ हैं देश के कुछ समाज सुधारकों के सतत प्रयास से उच्च वर्ग द्वारा अपने ओर अछतों के बीच बनाई गयी दीवार को तोड़ने का प्रसास किया इनमें स्वतंत्रता के पूर्व रेत्तामलई, पेरियार,ज्योतिबा फले, डॉ.भीमराव अम्बेड़कर,महात्मा गांधी आदि के द्वारा उनकी स्थिति में सुधार के लिए अधिक से अधिक प्रयास किये गये। स्वतंत्रता के बाद इन्हीं प्रयासों के प्रतिफल स्वरुप भारतीय संविधान में निम्न जातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित कर उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए सरकारी नौकरी आदि में कुछ स्थान आरक्षित रखे गये हैं।

आरक्षण नीति भारत सरकार की नीति है अर्थात आरक्षण नीति को सकारात्मक संरक्षण सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उन्नयन के लिए आवश्यक है। परन्तु संरक्षात्मक विभेदीकरण नीति को लागू करने के साथ ही साथ यह भी देखना पड़ता है कि अवसर की समता भी बरकरार रहे। विधि के शासन का मूल समता के सिद्धांत में निहित है और इसलिए अनुच्छेद 14 में उपबन्धित किया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों से समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ऐतिहासिक कारणों से सामाजिक असमानता अन्तर्ग्रस्त है। वहां न्याय प्रदान करने के लिए भारत में सुविधाविहीन वंचित एवं शोषित वर्ग को अवसर की समानता उपलब्ध कराने हेतु विशेष अवसर के सिद्वांत पर आधारित आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गई हैं।

आरक्षण क्यों दिया जाता है

भारत में सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और धार्मिकध्भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने के लिए कोटा प्रणाली लागू की है। भारत के संसद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए भी आरक्षण नीति को विस्तारित किया गया है।

किसी भी राष्ट्र में सामाजिक रूप से विभिन्नताएं सदैव विद्यमान रहती है। ये भिन्नताएं विभेदीकृत अथवा स्तरीकृत किसी भी रूप में हो सकती है। इन विभिन्नताओं के मध्य समानता स्थापित करने के संदर्भ में कोई भी कल्याणकारी राज्य कुछ न कुछ वैधानिक प्रावधान करता है।इसी प्रकारभारत में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से निम्न स्तर पर जीवन यापन कर रहे लोगों को संविधान में विशेष अवसर के सिद्धांत पर आधारित अवसर की समानता तथा सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारत विविधता में एकता वाला देश है देश में अनेक वर्ग, जाति, समूह व समुदाय आदि के लोग एक साथ रहते हैं लेकिन कुछ ऐतिहासिक कारणों से कुछ जाति, वर्ग समूह व समुदाय पर समाज द्वारा अनेक निर्योग्यताएं थोप दी गई, जिसके कारण इन जाति, वर्ग, समूह व समुदाय में स्तरीकरण के परिणामस्वरूप उच्चता एवं निम्नता की धारणा विकसित हो गयी।

आरक्षण व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐसा माना जाता है कि दुनिया में किसी भी समाज, व्यवस्था और धर्म का निर्माण किसी भी ईश्वर, अल्लाह या गॉड ने नहीं किया है बल्कि यह व्यवस्था स्वयं मानव के द्वारा निर्मित की गई है। अतः स्पष्ट है कि न केवल जाति व्यवस्था वरन् दुनिया की सभी व्यवस्थाओं को मनुष्य ने बनाया है ना कि ईश्वर ने। भारत में जाति की उत्पत्ति आर्यों के आगमन के बाद हुई। प्रत्येक कार्य और व्यवस्था के पीछे एक कारण और सम्बन्ध होता है। ऐसा ही सम्बन्ध जाति ओर उसकी व्यवस्था के पीछे भी है। जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना की एक अनुपम एवं बहुत चर्चित विषेषता है जो कि हिन्दु धर्म द्वारा पूर्णतः अनुमोदित है और भारत में जाति सार्वभौम है। यह व्यवहार में अत्यधिक हिन्दु है परन्तु यह केवल मात्र ऐसी ही नही है। यह व्यवस्था मैगस्थनीज के समय से लेकर आज तक किसी भी विदेशी का ध्यान आकर्षित करने से नही चूक सकी है। आर्यों के पूर्व काल में भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ब्राहम्ण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण ही आयों के आने के पश्चात अनेक

UGC APPROVED JOURNAL - 47746
© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 04 , Issue : 04 | January – March 2018

जातियों में परिवर्तित हो गये। आज भारत वर्ष में लगभग तीन हजार जातियां व उपजातियां है। जाति व्यवस्था यद्यपि भारतीय समाज की एक अनुपम विशेषता है। जाति व्यवस्था,एक ओर, हिन्दू सामाजिक संरचना के प्रकार को प्रकट करती है, तो दूसरी ओर हिन्दुओं के आचरण को भी निश्चित करती है।

भारतवर्ष में आंरक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इस नीति का उद्देश्य सदियों से उपेक्षित सामाजिक, असमानता से पीड़ित समुदाय को सामाजिक, आर्थिक समानता प्रदान करके कल्याणकारी व समतामय समाज की स्थापना बिल्कुल नहीं था। उच्च वर्णीय हिन्दुओं का शासकीय सेवाओं में प्राप्त वर्चस्व को सर्वप्रथम केंद्र की जनसंख्या को चुनौती मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख एवं आग्ल भारतीय द्वारा दी गई। उन्होंने मांग की कि अनुफत में अभिजात हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व श्सरकारी सेवाओं में अत्यधिक है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख एवं आंग्ल भारतीयों का उनकी जनसंख्या के. अनुपात में नगण्य है। लेकिन दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण समुदाय जातियों द्वारा शासकीय नौकरियों में ब्राह्मण समुदाय का शासकीय नौकरियों में पूर्ण वर्चस्व के प्रति विद्रोह कर दिया गया और आबादी के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व कौ मांग प्रारंभ कर दी।

भारतीय संवैधानिक प्रतिकारात्मक भेदभाव नीति

इस नीति का निर्धारण डॉ. अम्बेडकर द्वारा अछूतों का आर्थिक व सामाजिक उन्नति के लिए, अनवरत मांग का परिणाम है। इस नीति की आधारशिला भारत वर्ष में गांधी जी के पूना पैक्ट के उपरान्त रखी गई। डॉ.अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर चोट करते हुए उसे समूल नष्ट करने को मांग की। महात्मा गांधी ने अस्पृएयता निवारण पर जोर दिया। सरकारी सेवाओं में दलित वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने 1934 में अनुदेश जारी किये कि इन वर्गों के योग्य उम्मीदवार केवल नियुक्ति के समुचित अवसर से इसलिए वंचित न किए जाएं कि वे खुली प्रतियोगिता में सफल नहीं हो सकते, लेकिन उनके लिए, कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया गया। 19ः 3 में अनुसूचित जातियों के लिए रिक्तियों का 8प्रतिशत आरक्षण करने का आदेश दिया गया। जून 194 – में यह आरक्षण 12रू प्रतिशत बढ़ा दिया गया। परन्तु पिछड़ी जन जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया, क्योंकि उनका शिक्षा का स्तर नगण्य था। सन 1944 में शिक्षा मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां "7 आदि के लिए एक योजना तैयार की गई और इसे 1948 में अनुसूचित जनजातियों के लिए भी लागू की गई।

संविधान सभा में पिछड़ा वर्ग पर विचार विमर्श रू–

तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने 13 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा में नीति संबंधी बयान, भारतीय संविधान में शामिल किये जाने वाले मूलभूत सिद्धांत घोषणा के रूप में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यद्यपि श्री नेहरू जी ने यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि शासकीय नौकरियों का बंटवारा निष्पक्ष एवं अनुकूल पद्धति से होना चाहिए जिसमें किसी भी वर्ग को शिकायत करने का मौका न मिल सके। केबिनेट मिशन योजना द्वारा अल्पसंख्यकों को समुचित प्रतिनिधित्व देंने के संबंध में सुझावों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक विषय पर सुझाव देने हेतु एक अल्पसंख्यक सलाहकार समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई की. अध्यक्षता में की गई। इस समिति में हिन्दू, मुसलमान, अनु. जाति, सिक्ख, भारतीय, ईसाई, एवं आंदिवासी इत्यादि सभी के ग्रतिनिधि थे। सिक्ख एवं आग्ल भारतीयों ने अपने वर्गों के लिए विशेष आरक्षण की मांग शासकीय नौकरियों में की थी। दलित वर्गों के प्रमुख प्रवक्ता डॉ. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों की सामाजिक आर्थिक हालत सुधारने, इन वर्गों को शिक्षा शासकोय नौकरियों इत्यादि में विशेष आरक्षण देने की वकालत जोरदार एवं प्रभावशाली ढंग से किया। उन्होंने दलित वर्गों को राजनीतिक आरक्षण देने को मांग की। उन्होंने अनुसूचित जातियों को धार्मिक अल्पसंख्यक निरूपित किया।

उपसंहार

आरक्षण एक ऐसा कानून है, जो पिछड़े लोगो को सुरक्षित बनाता है। तथा उन्हें हर क्षेत्र से सहायता प्रदान करता है। वैसे तो भारतीय सविंधान में समानता का अधिकार हम सभी को है। पर आरक्षण एक कानून है, जो पिछड़ी जातीय लोगो को विशेष रूप से सहायता प्रदान करते है। आरक्षण आज से ही नहीं बल्कि लम्बे समय से चला आ रहा है। औपनिवेशिक काल में जिस प्रकार दलित वर्ग और धनवान लोग कर नहीं देते थे। तथा छोटे वर्ग के लोग कर वसूली करते थे। इसी कारण कुछ वर्ग पिछड़ गए। जिनकी स्थिति में सुधार के लिए आरक्षण नीति को लागू किया गया। आधुनिक समय में भारत के समक्ष कई विकराल समस्याएं एवं चुनौतियां विद्यमान हैं। इनमें से आतंकवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता के साथ ही देश भर में आरक्षण को लेकर समय समय पर उठती मांगे तथा विरोध की समस्या भी बढ़ती ही जा रही हैं। समाज के कई लोग वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के पक्ष में तर्क देते है तो वही इसका विरोध करने अथवा आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने के पैरोकार भी हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. चंचरीक, कन्हैया लाल,(2006),भारत में दलित आंदोलन एक मूल्यांकन यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स नई दिल्ली,पृ.सं. 56 द्य

2. आहूजा,राम, (2005), भारतीय समाजश्रावत पब्लिकेशन्स 3, एन.–20 जवाहर नगर जयपुर ।

3. गुप्ता, विश्व प्रकाश व मोहिनी,(1997),भीम राव अम्बेडकर व्यक्ति और विचार", अमृत बुक कम्पनी, न्यू दिल्ली ।

4. चंचरीक, कन्हैया लाल, डॉ. सिंह, धीर,(2006),भारत दलित आंदोलन की रूपरेखाश यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पृ.सं.59 ।

5. रामस्वामी, उमा, (1974), लेख श्सेल्फ आईडेन्टिटी अमंग सेड्यूल कास्टरू ए स्टेडी अन्धरा इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिक्लश वीकलियपृ.सं. 9,47 ।

6. सबराल, सतीश, (1972), ष्46 1652 णाप्रापशाटए टणाणा1० 10 एण102८‖1श वीकलिय 7,8 पृ.सं. 71–80 ।

7. अहमद, करूणा(‖ 978), 070५ .0प्रभाए एणाइटतपथ०८८ट४5 एण एरु0गणंथाला। छाइलांग्रा।ब्रांणा, ४टणणा०८ भाव छगागटव वीकलिय जनवरी 14 पृ.स.69––72 ।

8. गंबग्राडे, के.डी,(1975), श्सोशल मुबोलिट इन इण्डियारू ए स्टेडी ऑ डीप्रेसड क्लास मेन इन इण्डियाश पृ.सं.248–272 ।